

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.9(5)गृह-12/कारा/2025

जयपुर, दिनांक : e-signed date

अधिसूचना

राज्य सरकार कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम-3 के उप-नियम (1) के खण्ड (जेडई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित उप-कारागृहों को उनके सामने कॉलम संख्या 3 के अनुसार जिला कारागृह के रूप में एतद्द्वारा घोषित करती है:-

क्र.सं.	उप-कारागृह	जिला कारागृह
1.	उप कारागृह, बालोतरा	जिला कारागृह, बालोतरा
2.	उप कारागृह, ब्यावर	जिला कारागृह, ब्यावर
3.	उप कारागृह, डीग	जिला कारागृह, डीग
4.	उप कारागृह, डीडवाना	जिला कारागृह, डीडवाना-कुचामन
5.	उप कारागृह, कोटपुतली	जिला कारागृह, कोटपुतली-बहरोड
6.	उप कारागृह, फलौदी	जिला कारागृह, फलौदी
7.	उप कारागृह, सलुम्बर	जिला कारागृह, सलुम्बर

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
अपरी संख्या 1342
दिनांक 26/8/25

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनुराधा गोगिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.2(1)मुख्यालय/160/2023/21542 दिनांक 12.08.2025 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा/ब्यावर/डीग/डीडवाना-कुचामन/कोटपुतली-बहरोड/फलौदी/सलुम्बर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा/ब्यावर/डीग/डीडवाना-कुचामन/कोटपुतली-बहरोड/फलौदी/सलुम्बर।
4. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बालोतरा/ब्यावर/डीग/डीडवाना-कुचामन/कोटपुतली-बहरोड/फलौदी/सलुम्बर।
5. अधीक्षक, राजस्थान केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र में असाधारण विशेषांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
6. प्रोग्रामर, गृह (समन्वय) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Anuradha Gogiya
Designation: Additional Chief
Vigilance Commissioner
Date: 2025.08.20 11:47:29 IST
Reason: Approved

